

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/ 6972 दिनांक: 25/11/2024

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 24.09.2024 द्वारा श्रीमती कुसुम यादव निगम पार्षद वार्ड संख्या 74 को नगर निगम जयपुर हैरिटेज के महापौर पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कुसुम यादव निगम पार्षद वार्ड संख्या 74 को महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार गाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/23/6973 – 6982 दिनांक: 25/11/2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/जिला कलक्टर जयपुर।
- निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
- उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- श्रीमती कुसुम यादव निगम पार्षद वार्ड संख्या 74 नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
- प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
- सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
11986772



Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Designation : Special Secretary To
Government
Date: 2024.11.25 13:33:55 IST
Reason: Approved